क्रमांक / दिनांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
8/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। बहस पर मनन किया गया। वाद-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से अंकित होकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

AnyScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

..धिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.) दर्ज दिनांकः 03.09.2024

..एम.एस.नं.– 2024/271

..दमा संख्या 102/2024 निर्णय दिनांकः– 08/04/2025

1. रामजीलाल पुत्र प्रभातराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र प्रभातराम जाति माली निवासीगण ग्राम पौंख तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

........वादीगण

बनाम

1. मन्नी पत्नी स्व. झाबर
2. मोहनलाल पुत्र झाबर
3. सुभाष कुमार सैनी पुत्र झाबर
4. सुमेर पुत्र झाबर
5. सुरेश कुमार सैनी पुत्री झाबर
6. विमला देवी पुत्री झाबर
7. संतोष देवी पुत्री झाबर
8. ग्यारसी देवी पत्नि स्व. अन्नाराम
9. मनेष पुत्र स्व. अन्नाराम
10. सुरेन्द्र पुत्र अन्नाराम
11. कमलेश पुत्री समुन्द्र
12. ताराचन्द पुत्र समुन्द्र
13. भगवती पुत्री समुन्द्र
14. मन्नी देवी पत्नी समुन्द्र
15. सुमन पुत्री समुन्द्र
16. सुमित्रा पुत्री समुन्द्र
17. भगवाना पुत्र भोपाल
18. श्योपाल पुत्र कालू
19. मंजू पुत्री अन्नाराम
20. सुनिता पुत्री अन्नाराम
21. सुलोचना पुत्री अन्नाराम
22. शाखा प्रबन्धक जरिये बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी
23. भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी

...प्रतिवादीगण

विद्वान अधिवक्ता वादीगणः– श्री रामचन्द्र सैनी

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– एकपक्षिय

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

दावा घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 08/04/2025

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पौंख के वर्तमान भूमि ख.नं. 2364/720 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 703 रकबा 1.50 हैक्टर, ख.नं. 705 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 706 रकबा 1.93 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 3.70 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी सं. 8 लगायत 10 का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों का दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 के पिता/पति झाबर पुत्र कालूराम तथा प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 ने दिनांक 15.07.2020 को वादीगण के पक्ष में विकय पत्र तस्दीक करवाया है जिसके पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 369 में पृष्ठ सं. 173 कम सं. 20200330100394 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 01 जिल्द सं 89 के पृष्ठ सं. 355 से 366 पर चस्पा किया गया है विकय पत्र सं. 202001330001053 है।

विकय पत्र दिनांक 15/07/2020 के अनुसार ग्राम पौंख के भूमि ख.नं. 2364/720, 703, 705, 706 किता 04 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 कि पिता/पति झाबर पुत्र कालूराम ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/4 में से 0.1850 हैक्टर भूमि विकय तथा प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 ने अपना हिस्सा 1/8 में से 0.1850 हैक्टर भूमि विकय वादीगण के पक्ष में कर दी थी। विकय पत्र के रोज से वादीगण विकय भूमि पर काबिज है। कब्जे व काश्त को लेकर मौके पर किसी प्रकार का विवाद किसी भी खातेदार से नहीं है।वादीगण का कब्जा काश्त वर्तमान में भी निरन्तर जारी है। परन्तु विकय पत्र का नामान्तरण तस्दीक नहीं हुआ और खातेदार विकेता झाबर पुत्र कालूराम फौत हो चुका है तथा मृतक खातेदार झाबर पुत्र कालूराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 01 लगायत 7 के नाम भूमि में विरासतन नामान्तरण दर्ज हो गया। इसलिए विकय पत्र दिनांक 15/07/2020 नामान्तरण नहीं हो पा रहा है विकय पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी सं. 01 लगायत 7 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/4 में से रकबा 0.1850 हैक्टर व प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 का दर्ज हिस्सा 1/8 में से रकबा 0.1850 हैक्टर यानी कुल भूमि 0.37 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कानूनन उचित व न्यायोचित है।

वादीगण द्वारा विकय पत्र की प्रतिलिपि पटवारी हल्का को नामान्तरण तस्दीक करवाने हेतु दिनांक 20/07/2020 को पटवारी हल्का पौंख कार्यालय में ही दी थी परन्तु विकय पत्र का नामान्तरण तस्दीक नहीं हुआ तथ विकेता झाबर पुत्र कालूराम फौत होने पर विकय पत्र का नातान्तरण तस्दीक होने में कानूनी तथय है इसलिए वाद घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी सं. 01 लगायत 10 रिकार्ड की आड में भूमि को विकय रहन इत्यादी नहीं करें वादीगण की कयशुदा भूमि के कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करें इसलिए प्रतिवादी सं. 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम पौंख के भूमि ख.नं. 2364/720, 703, 705, 706 किता 04 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 कि पिता/पति झाबर पुत्र कालूराम ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/4 में से 0.1850 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 का हिस्सा 1/8 में से 0.1850 हैक्टर यानी कुल 0.37 हैक्टर भूमि का विकय पत्र दिनांक 15.07.2020 के अनुसार वादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

...बर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 10 को ... निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि को गलत रिकार्ड की आड में ...न नहीं करें वादीगण की क्रयशुदा रकबा 0.38 हैक्टर भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की ... कारित नहीं करें।

वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 01 लगायत 23 बावजूद तामिल न्यायालय में हाजिर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में वादीगण रामजीलाल व लक्ष्मणराम ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये।

बहस दावा पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 15/07/2020 के अनुसार ग्राम पौंख के भूमि ख. नं. 2364/720, 703, 705, 706 किता 04 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 कि पिता/पति झाबर पुत्र कालूराम ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/4 में से 0.1850 हैक्टर भूमि विक्रय तथा प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 ने अपना हिस्सा 1/8 में से 0.1850 हैक्टर भूमि विक्रय वादीगण के पक्ष में कर दी थी। विक्रय पत्र के रोज से वादीगण विक्रय भूमि पर काबिज है। कब्जे व काश्त को लेकर मौके पर किसी प्रकार का विवाद किसी भी खातेदार से नहीं है।वादीगण का कब्जा काश्त वर्तमान में भी निरन्तर जारी है। परन्तु विक्रय पत्र का नामान्तरण तस्दीक नहीं हुआ और खातेदार विक्रेता झाबर पुत्र कालूराम फौत हो चुका है तथा मृतक खातेदार झाबर पुत्र कालूराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 01 लगायत 7 के नाम भूमि में विरासतन नामान्तरण दर्ज हो गया। इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 15/07/2020 नामान्तरण नहीं हो पा रहा है विक्रय पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी सं. 01 लगायत 7 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/4 में से रकबा 0.1850 हैक्टर व प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 का दर्ज हिस्सा 1/8 में से रकबा 0.1850 हैक्टर यानी कुल भूमि 0.37 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कानूनन उचित व न्यायोचित है व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि को गलत रिकार्ड की आड में रहन बेचान नहीं करें वादीगण की क्रयशुदा रकबा 0.38 हैक्टर भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनाई गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद प्रर्दश 1, 2 जमाबंदी व विक्रय पत्र दिनांक 15/07/2020 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पौंख के भूमि ख.नं. 2364/720, 703, 705, 706 किता 04 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 कि पिता/पति झाबर पुत्र कालूराम ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/4 में से 0.1850 हैक्टर भूमि विक्रय तथा प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 ने अपना हिस्सा 1/8 में से 0.1850 हैक्टर भूमि विक्रय वादीगण के पक्ष में कर दी थी। परन्तु नामान्तरण तस्दीक नहीं हो पाया है। अतः ग्राम पौंख के भूमि ख.नं. 2364/720, 703, 705, 706 किता 04 रकबा 3.70 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/4 में से रकबा 0.1850 हैक्टर व प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 का हिस्सा 1/8 में से 0.1850 यानी कुल रकबा 0.37 हैक्टर का वादीगण को हिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

—::आदेश::—

रा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि के भूमि ख.नं. 2364/720, 703, 705, 706 किता 04 रकबा 3.70 हैक्टर में दर्ज प्रतिवादी सं. लगायत 07 का हिस्सा 1/4 में से रकबा 0.1850 हैक्टर तथा प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 का हिस्सा 1/8 में से 0.1850 हैक्टर यानी कुल 0.37 हैक्टर भूमि का वादीगण को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 08/04/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner